कम्प्यूटर परिपत्र संख्या :- 0809058

पत्र संख्या / कम्प्यूटराइजेशन / 2008-09 / 0809058 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(कम्प्यूटर अनुभाग)

दिनांक : लखनऊ : ~~अगस्त~~ 01-9-2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- e-return से सम्बन्धित प्रक्रिया ।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा N I C के सहयोग से विकसित किये जा रहे VYAS साफ्टवेयर में व्यापारी बन्धुओं द्वारा पूर्व निर्धारित फर्मेट में सी0डी0 में Annexure-A व Annexure-B का डाटा देने पर साफ्टवेयर में सीधे पोर्ट करने की सुविधा प्रदान की गयी है । e-return के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत है :-

रिर्टन फार्मेट डाउनलोड करना :-

वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट comtax.up.nic.in से Text व Excel format में फार्म 24 के फार्म को डाउनलोड कर डीलर अपने सिस्टम पर लोड कर सकते हैं । फार्मेट में विभिन्न कालम में दी गयी हेडिंग्स सिस्टम पर लोड कर सकते हैं । फार्मेट में विभिन्न कालम में दी गयी हेडिंग्स के अनुरूप डाटा इन्ट्री करके इसे सी0डी0 पर कापी कर सम्बन्धित प्रिन्ट आउट के साथ व्यापारी सुविधा केन्द्र में जमा किया जा सकता है ।

- EXCEL फार्मेट में डीलर टिन नं0 तथा Vendor / Customer TIN नम्बर के कालम 11 डिजिट टिन नं0 डालने पर 0 नहीं Enter होगा किन्तु इससे पोर्टिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- फार्मेट में कोई भी फील्ड Blank नहीं छोड़ी जानी है । यदि किसी फील्ड में कोई डाटा नहीं है तो उसमें 0 अनिवार्य रूप से Enter किया जाये ।
- Excel फार्मेट एक प्रोटेक्टेड फार्म है अत: इसकी Properties में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- File का नाम Form 24 Annexure AB ही रखा जायेगा ।

व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रक्रिया :-

डीलर द्वारा विभागीय वेबसाइट से Download किये गये फार्मेट पर Data Entry करके उसकी सी0डी0 तथा Print out निकालकर सुविधा केन्द्र में Submit किया जायेगा ।

इस कार्य के लिये सुविधा केन्द्र में एक सिस्टम अलग से रखा जायेगा जो LAN से नहीं कनेक्ट होगा । डीलर द्वारा लाई गयी सी0डी0 को सर्वप्रथम इस सिस्टम पर एन्टीवायरस से स्केनिंग की जायेगी तथा डीलर से प्राप्त फर्मेट की जॉच की जायेगी । यहॉ से OK होने के बाद ही रिसीट काउन्टर पर सम्बन्धित रिर्टन की रिसीट जनरेट की जायेगी । सी0डी0 के ऊपर स्केच से TIN No. तथा APPL.Id भी लिखा जायेगा । सम्बन्धित फाइल को सिस्टम में नये फोल्डर में save किया जायेगा । फोल्डर का नाम सम्बन्धित TIN No. पर रखा जायेगा । फोल्डर के अन्दर excel फाइल का नाम form24AnnexureAB ही रखा जायेगा । रिटर्न माड्यूल में form24 की इन्ट्री करते समय application no. डालकर submit बटन को क्लिक कर form24 से सम्बन्धित समस्त इन्ट्री कर form24 से सम्बन्धित annexureAB को upload करने के लिये form24 की स्क्रीन में दर्शित uploadform24AnnexureAB को

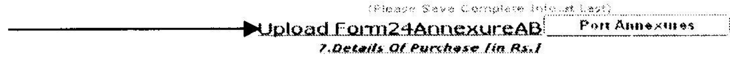

क्लिक करने पर फाइल अपलोड करने हेतु

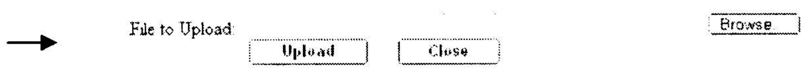

यह स्क्रीन सामने प्रदर्शित होगी जिस पर Browse के माध्यम से save की गयी फाइल को select करते हुये upload बटन को क्लिक करें । upload बटन को क्लिक करने के बाद फाइल successfully uploaded का message प्रदर्शित होने के बाद close बटन को क्लिक करने के बाद file upload screen बन्द हो जायेगी । पुन: form24 module में port annexure को क्लिक करना है । port annexure को क्लिक करने के पश्चात अपने कम्प्यूटर में save की गयी फाइल form24AnnexureAB में से annexure A का डाटा

annexure A में तथा annexure B का डाटा annexure B में स्वत: save हो जायेगा जिसे form24 के इन्ट्री माड्यूल में annexure A तथा annexure B में क्लिक करने पर सम्बन्धित डाटा देखा जा सकता है। सुविधा के लिये **Form24AnnexuresAB** व **Porting Return Annexure** इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। व्यापारी द्वारा वॉछित सूचनायें EXCEL FORMAT के अलावा TXT format में भी दी जा सकती हैं। txt format में सूचना दिये जाने का तरीका भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। txt file को भी अपलोड उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा।

उपरोक्त सर्कुलर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने के साथ - साथ इसका व्यापक प्रचार - प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।